उत्तराखंड में GST पंजीकरण में छूट प्रदान

चर्चा में क्यों?

[उत्तराखंड सरकार ने सौर उद्यमियों को मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना] के तहत अनिवार्य [वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण] से छूट देकर उन्हें महत्त्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है।

- इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा राज्य भर में [नवीकरणीय ऊर्जा] परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बिंदु

- उद्योग महानिदेशक एवं सिंडिकुल (उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक ने **प्रवासी सम्मेलन के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी।**
  - इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह छूट **सौर परियोजना निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के उत्तर में दी गई है, जिन्हें GST पंजीकरण आवश्यकताओं** के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा था।
- **मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना** के तहत हज़ारों सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और कई और पर काम चल रहा है।
- इससे पहले, सौर ऊर्जा को GST से छूट मिलने के बावजूद, उद्यमियों को सब्सिडी का दावा करने के लिये GST में पंजीकरण कराना पड़ता था।
  - नई नीति **इस चरण को समाप्त कर देती है,** जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है तथा सौर परियोजना डेवलपर्स के लिये नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम हो जाती हैं।

उत्तराखंड सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा विज़न:

- **यह निर्णय अक्षय ऊर्जा** और [सतत् विकास] को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षित करना है, जिससे **आर्थिक विकास** और [पर्यावरण संरक्षण] दोनों में योगदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना

- उत्तराखंड ने **सौर ऊर्जा खेती** द्वारा स्वरोज़गार के लिये 2020 में **मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना शुरू की।**
- **इस योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा** के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उत्तराखंड के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
- **इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट** के सौर संयंत्र आवंटित किये जाएँगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-offers-gst-registration-exemption